अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–21.09.2026 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

अपर सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रशाखावार समीक्षा प्रारंभ की गई।

1. **A.E.B.A.S./B.B.A.S.**– आई0टी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि पूर्व की बैठक में यथा निदेशित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रत्येक दिन की उपस्थिति विवरणी सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

   निदेश दिया गया कि उक्त उपस्थिति विवरणी पर अग्रेत्तर कार्रवाई संबंधी दिये गये आदेशों का अनुपालन त्वरित रूप से किया जाय।

   अनुपालन :– अपर सचिव/अवर सचिव प्रशाखा–01/आई.टी. मैनेजर

2. कई क्षेत्रीय अभियंताओं विशेषकर विद्युत सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता तथा निदेशक गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु कार्यालय भवन उपलब्ध नहीं होने के संबंध में पूर्व की बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में अभियंता प्रमुख (विद्युत) द्वारा विद्युत उपभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन सहित सूची उपलब्ध करायी गयी है।

   मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण) को निदेशित किया गया कि उपलब्ध करायी गयी सूची के आलोक में अपने उपभाग से संबंधित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की समीक्षा कर लें। सहायक अभियंता (विद्युत) एवं कनीय अभियंता, विद्युत के बैठने के व्यवस्था कार्यपालक अभियंता, असैनिक के कार्यालय भवन में कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक में रखा जाय। निदेशक, गुणवत्ता अनुश्रवण के बैठने की व्यवस्था अंचल कार्यालय भवन में की जाय। अंचल कार्यालय भवन में पर्याप्त स्थल उपलबध नहीं होने की स्थिति में किराए पर कार्यालय भवन लिए जाने का प्रस्ताव दिया जाय।

   अनुपालन :– मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण)/मुख्य अभियंता, गुणवत्ता अनुश्रवण।

3. अभियंता प्रमुख (असैनिक) के स्तर से पूर्व की बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन के सन्दर्भ में कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुनः निदेशित किया गया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय भवनों की भौतिक स्थिति की समीक्षा कर ली जाय तथा उनको भवन उपयुक्त एवं स्थल पर्याप्त/भवन उपयुक्त एवं स्थल अपर्याप्त/मरम्मती योग्य/तोड़ने योग्य की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें।

   अनुपालन :– अभियंता प्रमुख (असैनिक)

4. कई जिलों में भवन निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान अनुमादित नक्शे के अनुसार सिर्फ 04 कमरों का निर्माण किया जा रहा है, जो समय के अनुसार उपयुक्त नहीं है। इस सन्दर्भ में पूर्व की बैठक में मुख्य वास्तुविद् एवं मुख्य अभियंता

(उत्तर / दक्षिण) को निदेशित किया गया था कि निर्माणाधीन सभी निरीक्षण भवनों में द्वितीय तल पर अतिरिक्त 03 कमरों के निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मुख्य वास्तुविद् सभी निर्माणाधीन निरीक्षण भवनों के लिए फर्निचर ले–आउट प्लान तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि इसके अनुरूप विद्युतीकरण तथा ए.सी. अधिष्ठापन कार्य कराया जा सके। अभियंता प्रमुख, विद्युत को निदेशित किया गया था कि फर्निचर ले–आउट प्लान के अनुसार ही विद्युतीकरण तथा ए.सी अधिष्ठापन कराया जाय तथा इन कार्यों में भवन एवं कमरों की सज्जा एवं सुंदरता का विशेष ध्यान रखा जाय।

उक्त के अनुपालन में कृत कार्रवाई संबंधी कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। सभी संबंधित को पुनः निदेशित किया गया कि अनुपालन करते हुये अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

अनुपालन :– अभियंता प्रमुख (असैनिक / विद्युत) / सभी मुख्य अभियंता / मुख्य वास्तुविद्।

5. पूर्व की बैठक में सभी मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया था कि पर्यटन के बिंदु से महत्वपूर्ण स्थलों पर निरीक्षण भवन निर्माण हेतु स्थल चयन कर प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय। मुख्य वास्तुविद् को निदेशित किया गया था कि स्थल विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सुविधाओं को समाहित करते हुए निरीक्षण भवन के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाय। इस सन्दर्भ में भी अनुपालन संबंधी कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण असंतोष प्रकट किया गया।

पुनः निदेशित किया गया कि शीघ्र कार्रवाई करते हुये अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

अनुपालन :– भू–संपदा पदाधिकारी / सभी मुख्य अभियंता / मुख्य वास्तुविद्।

6. विभिन्न प्रशाखाओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार प्रशाखावार लंबित पत्रों की स्थिति निम्नवत् है :–

प्रशाखा का नाम	गत् सप्ताह के पूर्व प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	गत् सप्ताह प्राप्त पत्रों की संख्या	प्राप्त पत्रों की कुल संख्या (2+3)	गत् सप्ताह के पूर्व निष्पादित पत्रों की कुल संख्या	गत् सप्ताह निष्पादित पत्रों की संख्या	निष्पादित पत्रों की कुल सं0 (5+6)	निष्पादन हेतु लंबित पत्रों की सं0 (4–7)	महत्वपूर्ण पत्रों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रशाखा–01 (राज. स्था.)	825	40	865	818	43	861	04	
प्रशाखा–02 (राज. स्था.)	1383	18	1401	1376	20	1396	05	
प्रशाखा–02A (राज. स्था.)	833	97	930	829	95	924	06	
प्रशाखा–03(अराज0)	1051	41	1092	1044	43	1087	05	

प्रशाखा–04 (अराज. स्था.)	693	72	765	677	75	752	**13**	
प्रशाखा–05 एवं 06 (बजट)	306	34	340	304	32	336	04	
प्रशाखा–07 (विधि)	1026	87	1113	1026	82	1108	05	
प्रशाखा–08 (समन्वय)	313	12	325	313	11	324	01	
प्रशाखा–09 (भू–सम्पदा)	1578	178	1756	1578	171	1749	07	
प्रशाखा–10 (निगरानी)	662	35	697	662	34	696	01	
प्रशाखा–11 (निगरानी)	545	62	607	544	59	603	04	
प्रशाखा–12 (अभि. प्र.योजना)	510	20	530	510	20	530	00	
प्रशाखा–13 (निबंधन)	1092	58	1150	1092	55	1147	03	
प्रशाखा–14 (मु0अ0द0, योजना)	1060	165	1225	1036	178	1214	**11**	
प्रशाखा–15 (मु0अ0द0, स्थापना)	218	11	229	210	15	225	04	
प्रशाखा–16 एवं 17 (मु0अ0उ0, योजना एवं स्थापना)	3340	186	3526	3340	185	3525	01	
प्रशाखा–18 (मु0अ0 निरूपण)	90	06	96	90	06	96	00	
प्रशाखा–19 (लेखा)	942	49	991	941	50	991	00	
प्रशाखा–20 (मु0अ0प0, योजना)	192	49	241	190	50	240	01	
प्रशाखा–21 (मु0अ0प0, स्थापना)	1892	144	2006	1873	112	1985	**21**	
प्रशाखा–22 (मु0अ0,विद्युत–01 एवं 02)	1011	192	1203	1008	159	1167	**36**	
प्रशाखा–23 (मु0अ0,गुण.अनु.)	813	68	881	812	58	870	**11**	
संरचना प्रशाखा	427	26	453	422	22	444	09	

मुख्य निगरानी कोषांग	84	13	97	84	13	97	00	
लोक सूचना कोषांग	332	08	340	332	08	340	00	

7. विभिन्न प्रशाखाओं में लंबित पत्रों की संख्या अधिक पायी गयी। विशेषकर प्रशाखा–04 में 13, प्रशाखा–14 में 11, प्रशाखा–21 में 21, प्रशाखा–22 में 36 एवं प्रशाखा–23 में 11 पत्र निष्पादन हेतु लंबित हैं। निदेशित किया गया कि इन प्रशाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी अपने स्तर से समीक्षा कर पत्रों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करें।

अनुपालन :– सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदा0।

8. समीक्षा में पाया गया कि पूर्व की बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन में प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा अपने – अपने प्रशाखाओं से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, जिसके लिए असंतोष व्यक्त किया गया। सभी प्रशाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अगले 15 दिनों में अपने–अपने प्रशाखाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रशाखा–2ए को देना सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं करने वाले प्रभारी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।

अनुपालन :– सभी प्रभारी पदाधिकारी।

9. प्रशाखा–04 के समीक्षा के क्रम में प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा बताया गया कि निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों से संबंधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वापस लौटा दिये जाने के कारण संबंधित अंचलों को विसंगतियों/त्रुटियों का निराकरण करते हुए संशोधित अधियाचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर संबंधित अंचलों को स्मार पत्र प्रेषित किया गया है।

निदेश दिया गया कि सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता को प्रतिवेदन के साथ आने का निदेश देते हुये अगले मंगलवार को मुख्यालय स्तर पर बैठक आहूत कर त्रुटियों का निराकरण कर लिया जाय तथा पुनः संशोधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाय।

अनुपालन :– संयुक्त सचिव/प्र0 पदा0– प्रशाखा–04

10. प्रशाखा–07 (विधि)–विधि प्रशाखा के प्रतिवेदन के अनुसार लंबित न्यायिक वादों की स्थिति निम्नवत् है :–

माननीय उच्च न्यायालय में लंबित M.J.C (अवमाननावादों) की अद्यतन स्थितिः–					
SL. NO.	MJC No........ Arising out of CWJC No.......	विषय	**Order to be Complied by whom**	विभाग में याचिका प्राप्ति की तिथि	वाद की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	MJC No-1305/2026 M/s R.K. Cons. Through	Petitoner directed to file representation before Secretary BCD	भवन प्रमंडल,	04.05.2026	GP-05

	its Partner Lal Bahadur Singh बनाम बिहार राज्य एवं अन्य Arising Out of order dated-11.12.2024 in CWJC N0-18133/2024	within 3 week who shall decide the same.	बेगूसराय		
2	MJC No-1577/2026 Elite business Group through its Proprietor Nirbhay Bhardwaj बनाम बिहार राज्य एवं अन्य Arising Out of order dated-10-03-2026 in CWJC N0-3431/2025	D.M. Buxar directed to make avaible the fund to E.E. Buxar.	भवन प्रमंडल, बक्सर।	19.06.2026	GP-20
3	MJC No-......./2026 राजीव कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य Arising Out of order dated-06.07.2026 in CWJC N0-9591/2026	E.E. Darbhanga directed to decide reprensentation within 4 week.	भवन प्रमंडल, दरभंगा	13.08.2026	SC-07
4	MJC No-......./2026 संजय कुमार बनाम एवं अन्य Arising Out of order dated-28.04.2026 in CWJC N0-20873/2025	Comissioner, Patna has been directed to provide allotment to E.E., Garden Division. The intire process is to be completed within 6 week.	उद्यान प्रमंडल	13.08.2026	SC-25
5	MJC No-......./2026 Amit Kumar Singh बनाम बिहार राज्य एवं अन्य Arising Out of order dated-23-10-2024 in CWJC N0-3263/2024	Restoration petition	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	27.08.2026	AAG-03
6	MJC No-1199/2026 ललन कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य Arising Out of order dated-03-09-2025 in CWJC N0-346/2023	Court directed to calculate incentive bonus as per clause 2 A and to pay it within 8 Weeks.	भवन प्रमंडल, भागलपुर	24.04.2026	SC-26
7	MJC No-......./2026 श्वेताभ कश्यप @ श्वेताभ कश्यप बनाम बिहार राज्य एवं अन्य Arising Out of order dated-07.11.2025 in CWJC N0-19296/2024	Direction given to make payment of Rs. 7,64,299/- within 3 month.	भवन प्रमंडल, भागलपुर	24.07.2026	SC-08

माननीय उच्च न्यायालय में लंबित CWJC (समादेशवादों) की अद्यतन स्थितिः-

क्र0 सं0	वाद सं0/वादी का नाम	विषय	विभाग में याचिका प्राप्ति की तिथि	Order to be Complied by whom	वाद की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	CWJC No-...../2026 कुणाल राज बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	To make payment of Rs. 6,25,084/- against work of Roof treatment, Sanitary, Painting and repair of Fast Track court building,civil court, Samastipur, Painting, parapet raising and other essential work of P.O Quarter (unit 1 to 4) and Essential repair, painting and other work of E-seva Kendra, Samstipur for Year 2024-2025.	13.07.2026	SC-03	तथ्यविवरणी अनुमोदन की प्रक्रिया में।
2	CWJC No-12119/2026 मणिशंकर झा बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	To make payment of Rs. 83,47,123/- against work of barricading and allied protective works executed by the Petitioner at the programme site of the visit of the Hon'ble Prime Minister of India at Jhanjharpur, District Madhubani of 24.04.2025.	15.07.2026	AG	विधि पदाधिकारी के निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता को जिला पदाधिकारी से आवंटन की मांग हेतु पत्र दिया गया।
3	CWJC No-...../2026 हरि मंडल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	To grant full pension and gratuity to the petitioners counting their full service rendered under work charge establishment in the Building Construction Department.	28.07.2026	SC-15	तथ्यविवरणी अनुमोदन की प्रक्रिया में।
4	CWJC No-...../2026 शोभा यादव बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	To make payment of Rs. 31,8971- along with compound interest 12% per annum against work of repairing and painting of Quarters P-1, P-3 and P-4 at Office Colony, Bettiah for Year 2023-2024.	17.08.2026	SC-03	रिट की प्रति दिनांक–17.08. 2026 को प्रेषित।
5	CWJC No-...../2026 कुणाल राज बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	To dispose of the application dated 10.03.2026 of petitioner which was written to the E.E. Samastipur after completion of work Roof treatment, Sanitary, Painting and repair of Fast Track court building,civil court, Samastipur, Painting, parapet raising and other essential work of P.O Quarter (unit 1 to 4) and Essential repair, painting and other work of E-seva Kendra, Samstipur for Year 2024-2025.	07.09.2026	SC-09	रिट की प्रति दिनांक–07.09. 2026 को प्रेषित।
6	CWJC No--------/2026 शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	To declare that the petitioner is deemed to have continued in service till his superannuation on 30-06.2021. the petitioner, while posted as Clerk-cum-Typist at Building Division, Kishanganj was arrested on 14.02.2012 by the Vigilance Department on the allegation of accepting a bribe of Rs. 1000/-.	09.09.2026	**GP-11**	रिट की प्रति दिनांक–09.09.2026 को कार्यपालक अभियंता को प्रेषित।
7	CWJC No- ..../2026 मेसर्स विनोद बिहारी Electrical through its	To make payment of Rs. 13,87,2891/- against work of the work done by the petitioner in connection with the agreement No. F2-	19.08.2026	SC-03	मुख्य अभियंता, विधुत द्वारा तथ्यविवरणी उपलब्ध कराने हेतु

	proprietor बिनोद बिहारी बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	176 of 2023-24			कार्यपालक अभियंता को पत्र प्रेषित।
8	CWJC No- ..../2026 अमर कुमार सिंह उर्फ अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	To make payment of Rs. 4,84,255/- against certain work like providing garden tight, campus security light, street light, replacement of campus armoured cable, feeder pillar panel, sub panel in the campus of Quarter No.17, Harding Road, patna.	11.09.2026	SC-03	रिट की प्रति दिनांक–11.09.2026 को संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रेषित।
9	CWJC No-12050/2026 M/s nonpareil construction LLP through its desigated Partner Mr. Ranjan Kumar बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	For admitted dues of Rs.01,68,52,866/- against the work for constuction of panchayat Sarkar Bahwan , Harnathpur.	25.06.2026	AG	रिट की प्रति दिनांक–25.06.2026 को संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रेषित।
10	CWJC No-12095/2026 दिनेश कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	For quashing and setting aside the Decision/action for construction of the Panchayat Sarkar Bhawan of Gram Panchayat Rajpur, in substitution of the land earlier selected.	27.07.2026	GA-08	तथ्यविवरणी अनुमोदित।
11	CWJC No-...../2026 श्री नवलेश कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	To make payment of Rs. 75,00,000/- against work of "Construction of IT Centre at Dharhara, District Munger" for Year 2017-2018.	20.08.2026	AG	रिट की प्रति दिनांक–20.08.2026 को संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रेषित।
12	CWJC No-...../2026 इन्द्रदेव राम बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	For quashing Office Order No. 07/2021 contained in Memo No- 45 dated 08.01.2021 and to release the illegaly deducted amount of Rs.19,11,942/- together with the balance arrears of salary, retiral dues and all consequential benefits along with statutory/appropriate Interest.	23.07.2026	GP-20	तथ्यविवरणी अनुमोदित।
13	CWJC No-4910/2026 श्याम कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	Payment of dues the sum of Rs. 5,46,593/- (Rs.4,96,593+ Rs. 50,000/-) against " Earth Filling in low land area for orchard development work in the campus of I-Circular Road Hon'ble Judges residence Patna High Court, Patna for the year 2023-24"	06.02.2026	AAG-05	रिट की प्रति दिनांक–06.02.2026 को कार्यपालक अभियंता को प्रेषित।
14	CWJC No-12598/2026 विक्रम झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	To grant one increment to the petitioners fallen on 1st July of the year of their retirement as they retired on 30th June of the year concened and on such granting of one increment as fallen as aforesaid dates relating to all the Petitioners they should be granted with all the consequential benefits.	20.07.2026	SC-08	तथ्यविवरणी अनुमोदित।
15	CWJC No--------/2026 एन0एन0टी0 डेवलपर्स प्रा0 लि0 बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	To make payment of Rs. 1,13,00,000/- along with interest 12% against work of proposed Development and Beautification of Golghar, patna.	22.08.2026	AG	तथ्यविवरणी अनुमोदित।

16	CWJC No--------/2026 दिनेश प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	To resolve the problems of the petitioners and other villagers to move from village to Main Road and be further pleased to stop the construction work on the same land and be further pleased to demolish the constructed part to act.	20.08.2026	GA-08	तथ्यविवरणी अनुमोदन की प्रक्रिया में।
17	CWJC No--------/2026 विजय शंकर प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	For grant of full monthly pension and gratuity who have been appointed prior to 22.10.1984 under work charge establishment.	31.08.2026	SC-13	तथ्यविवरणी अनुमोदन की प्रक्रिया में।
18	CWJC No--------/2026 राम कृपाल सिंह कन्सट्रक्शन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	Quashing of the ex parte decision of the Departmental Tender Committee, as contained in Memo No. 888 (P) dated-25.03.2026 for execution of Construction Works at the Hon'ble High Court, Patna Campus, Bihar under the Engineering, Procurement and Construction (EPC) mode, with an estimated cost of Rs-299,90,00,000 /- and a completion period of 18 months.	07.09.2026	AG	रिट की प्रति दिनांक–07.09.2026 को कार्यपालक अभियंता को प्रेषित।
19	CWJC No------ /2026 इन्द्रदेव राम बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	For quashing the Order dated 16.04.2025 passed by the Joint Secretary, Building construction Department, Bihar, Patna, by which 20 % pension of the petitioner has been reduced for three years.	29.07.2026	SC-03	तथ्यविवरणी प्राप्त हो गयी है। अनुमोदन हेतु उपस्थापित की जा रही है।
20	CWJC No-11789/2026 सुधाकर सिंह बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	PIL field for constitution of a Court-monitored Special Investigation Team (SIT) for alleged irregularities in the tenders and works of BUIDCO, BCD, UDHD, BMSICL and NMCG-Bihar.	03.07.2026	AG	विधि पदाधिकारी द्वारा मंतव्य दिया गया है कि उक्त वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर किया जाने की आवश्यकता नहीं है जब तक माननीय न्यायालय द्वारा कोई निदेश प्राप्त ना हो।

माननीय उच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न LPA (एल.पी.ए.) की अद्यतन स्थिति :-

1	LPA No-258/2026 Rajesh Kumar (Arising Out of CWJC NO.268/2025) बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य	To put the service of petitioner in OPS and to pay back wages.	26.03.2026	SC-11	मुख्य अभियंता, दक्षिण का पत्रांक–1679 दिनांक–02.07.2026 द्वारा प्रेषित पत्र में अंकित है कि प्रतिशपथ पत्र दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय में लंबित Request Case की अद्यतन स्थिति:-

क्रम सं0	Execution Case No and Name	Arising Reference Case No and Name	Date of Award/ Amount	work synopsis	Concerned E.E.	अद्यतन स्थिति
1	Execution Case-760/2023 (Universal Interior Decorator) बनाम बिहार सरकार एवं अन्य	Apr-19	01.02.2023 3,56,596/-	Renovation of Collectorate Building approach Road, Campus development & Main Gate Additional work, Confrence Hall DSP & Record Room at 2nd floor at	भवन प्रमंडल, हाजीपुर	कार्यपालक अभियंता द्वारा वादी को भुगतान हेतु कोषागार पदाधिकारी को भेजा गया है।

				Collectorate Building, Hazipur Vaishali for the Year 2013-14.		
2	Execution Case-01/2025 राकेश कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य	127/2019	11.02.2021 7,01,697/- (P.A. 6,01,224)	Construction of Residential work Multipurpose Hall at T.P. College, Madhepura for the Year 2016-17	भवन प्रमंडल, मधेपुरा	कार्यपालक अभियंता द्वारा वादी को भुगतान हेतु कोषागार पदाधिकारी को भेजा गया है।
3	Execution Case-22/2024 मुकेश कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य	296/2017 से 305/2017	26.11.2018 Principal amount 12,43,094/- + interest 23,49,071/-	Tender Work	भवन प्रमंडल, किशनगंज	10 संचिका में सूद की राशि का भुगतान हो गया है ।
4	Execution Case-10/2024 श्री बाबा परशुराम निर्माण लि0 बनाम बिहार सरकार एवं अन्य		1. याचिकाकर्त्ता का दावा राशि 155879 / –रू0 (मूल राशि) 2. सूद की राशि 11,45,67 / – 3. आदेश में जयघोष की राशि 2,86,277 / –	PHE work in D-type building 4 unit new construction in officer's colony L. saray, Darbhanga-12-13	संरचना प्रमंडल, दरभंगा	मूलधन एवं न्यायालय खर्च के आवंटन के लिए संचिका बजट प्रशाखा भेजी गयी है।
5	Execution Case-745/2023 मेसर्स माधव शर्मा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य	Sole Arbitrator द्वारा पारित Award (02/2021)	26.09.2022 26,31,906/- +Interest	Construction of District Agriculture Building 2020-21	भवन प्रमंडल, अरवल	सूद की राशि का भुगतान कर बजट प्रशाखा द्वारा संचिका वापस की गयी है तथा मूलधन की राशि का भुगतान बजट शाखा द्वारा कृषि विभाग से आवंटन की मांग की गयी है।
6	Execution Case-196/2019 अरविंद कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य	25/2017	29.08.2018 1,55,21,359/- +Interest	Const. of Block Building at Kaler, Dis-Arwal. Year-2013-14	भवन प्रमंडल, अरवल	विधि विभाग से प्राप्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में भुगतान की कार्रवाई हेतु संचिका बजट प्रशाखा को पृष्ठांकित है।
7	Execution Case-74/2026 रामाकांत सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य	Arbitration Case N0-01/2024	25.01.2026 2,16,63,945/- +Interest	'Construction of ABD & E type Quarters at Tekari " Vide Agreement No-02 SBD of 2016- 17 .	भवन प्रमंडल, गयाजी	सिविल रिव्यू में जाने की प्रकिया में
8	Execution Case-75/2026 रामाकांत सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य	Arbitration Case N0-02/2024	25.01.2026 4,23,35,371/- +Interest	'Construction of Block Office Building-Cum-Residential Building at Bodh Gaya" Vide	भवन प्रमंडल, गयाजी	सिविल रिव्यू में जाने की प्रकिया में

				Agreement No-78 SBD of 2013- 14.		
9	Execution Case-76/2026 रामाकांत सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य	Arbitration Case N0-07/2024	25.01.2026 1,90,08,899/- +Interest	'Construction of 100 Beded old age home at Gaya, District-Gaya, Bihar. "	भवन प्रमंडल, गयाजी	सिविल रिव्यू में जाने की प्रकिया में

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग के अन्तर्गत एम0जे0सी0 के **कुल 07** मामले कारण–पृच्छा दायर करने हेतु लंबित है।

(i) भवन प्रमण्डल, बेगूसराय से संबंधित MJC No.1305/2026 M/S R.K. Construction through its partner Lal Bahadur Singh बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के सन्दर्भ में तथ्य विवरणी अनुमोदित है। निदेशित किया गया कि कारण–पृच्छा दायर करना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) भवन प्रमण्डल, बक्सर से संबंधित MJC No.1577/2026 Elite Business Group through its Proprietor Nirbhay Bhardwaj बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के सन्दर्भ में कार्यपालक अभियंता से संशोधित तथ्य विवरणी की मांग की गयी है। निदेशित किया गया कि मुख्य अभियंता (दक्षिण) व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर शीघ्र कारण–पृच्छा दायर करना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) भवन प्रमण्डल, भागलपुर से संबंधित MJC No.1199/2026 ललन कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में एल0पी0ए0 दायर कराने हेतु सरकारी अधिवक्ता को नामित किये जाने के बिन्दु पर विद्वान महाधिवक्ता से अनुरोध किये जाने के निमित संचिका उपस्थापित है। ससमय एल0पी0ए0 दायर करने हेतु मुख्य अभियंता (दक्षिण) को निदेशित किया गया।

(iv) भवन प्रमण्डल, भागलपुर से संबंधित MJC No……./2026 श्वेताभ कश्यप @ श्वेताभ कश्यप बिहार राज्य एवं अन्य के सन्दर्भ में तथ्य विवरणी अनुमोदित है। ससमय कारण पृच्छा दायर कराने हेतु मुख्य अभियंता (दक्षिण) को निदेशित किया गया।

(v) उद्यान प्रमण्डल से संबंधित MJC No……./2026 संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित रिट की प्रति दिनांक–13.08.2026 को प्रेषित की गयी है। मुख्य अभियंता (पटना) को निदेशित किया गया कि ससमय कारण–पृच्छा दायर करना सुनिश्चित किया जाय।

(vi) भवन प्रमण्डल, दरभंगा से संबंधित MJC No……./2026 राजीव कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित रिट की प्रति दिनांक–13.08.2026 को प्रेषित की गयी है। मुख्य अभियंता (उत्तर) को निदेशित किया गया कि ससमय कारण–पृच्छा दायर करना सुनिश्चित किया जाय।

(vii) भवन प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर से संबंधित MJC No……./2026 Amit Kumar Singh बनाम बिहार राज्य एवं अन्य से संबंधित रिट की प्रति दिनांक–31.08.2026 को प्रेषित की गयी है। मुख्य अभियंता (उत्तर) को निदेशित किया गया कि ससमय कारण–पृच्छा दायर करना सुनिश्चित किया जाय।

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग के अन्तर्गत CWJC के कुल 21 मामले प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लंबित है। सभी संबंधित प्रशाखा को निदेश दिया गया कि ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करते हुये ओथ नम्बर सहित इसकी सूचना विधि प्रशाखा को देना सुनिश्चित करेंगे।

- विधि प्रशाखा के प्रतिवेदन के अनुसार भवन निर्माण विभाग से संबंधित Reff. Case की संख्या–203 है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी मामले बहुत पुराने है। वर्तमान में रेफरेंश केस का कोई नया मामला नहीं है। सभी मुख्य अभियंता को उनके उपभाग से संबंधित मामलों की लिस्ट भेजी जा रही है। सभी मुख्य अभियंता को प्रत्येक पन्द्रह दिन पर उनके उपभाग से संबंधित रेफरेंश केस की अद्यतन स्थिति के अनुश्रवण का निदेश भी दिया गया है।

- सभी मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया कि प्रत्येक 15 (पन्द्रह) दिन में अपने उपभाग के अन्तर्गत सभी कार्यपालक अभियंता के साथ विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से रेफरेंश केस एवं एक्जीक्यूशन केस सहित सभी CWJC/MJC केस की समीक्षा बैठक करते हुये आवश्यक निदेश निर्गत करें तथा बैठक की कार्यवाही समर्पित करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– सभी मुख्य अभियंता एवं प्रभारी पदाधिकारी संबंधित प्रशाखा।

11. प्रशाखा–08 (समन्वय) के समीक्षा के दौरान प्रभारी पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि विधान सभा के 03 एवं विधान परिषद का 02 मामला लंबित हैं।

निदेश दिया गया कि सभी मामलों में यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुये उत्तर प्रतिवेदन विधान मंडल सचिवालय को उपलब्ध करा दिया जाय।

अनुपालन :–संयुक्त सचिव एवं प्रशाखा पदा०–प्रशाखा– 08

12. प्रशाखा–09 (भू–सम्पदा) भू–सम्पदा पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि पूर्व के बैठकों में प्राप्त निदेश के आलोक में सभी भवन प्रमण्डलों से भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु (विभागीय पत्रांक–6279, दिनांक–09.07. 2026, पत्रांक–7227 दिनांक–31.07.2026 एवं पत्रांक–7569 दिनांक–12.08.2026) निदेशित किया गया। अभी तक मात्र भवन प्रमण्डल, मधेपुरा तथा औरंगाबाद द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। निदेशित किया गया कि उक्त कार्य के सन्दर्भ में तेजी से कार्रवाई की जाय।

सभी मुख्य अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से समीक्षा कर भवन निर्माण विभाग की स्वामित्व वाली भूमि का विवरण प्राप्त करें। जिन प्रमंडलों में भवन निर्माण

विभाग का कार्यालय नहीं है तथा कार्यालय निर्माण हेतु भूमि भी उपलब्ध नहीं है, से संबंधित प्रतिवेदन भू–संपदा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन :– सभी मुख्य अभियंता/भू–संपदा पदाधिकारी।

13. प्रशाखा–10 एवं 11 (निगरानी) के उप सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि प्रशाखा–10 में 56 परिवाद पत्र निष्पादन हेतु लंबित है। इसी प्रकार प्रशाखा–11 में 60 परिवाद पत्र निष्पादन हेतु लंबित हैं। प्रशाख–10 में 06 माह से अधिक अवधि से लंबित परिवादों की संख्या–06 है तथा प्रशाखा–11 में 06 माह से अधिक अवधि से लंबित परिवादों की संख्या–02 है।

निदेशित किया गया कि 06 माह से अधिक अवधि से लंबित शेष परिवादों से संबंधित पदाधिकारियों को स्मारित कर तथा उनके साथ समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय तथा अगली बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों के पास 06 माह से अधिक अवधि से लंबित परिवादों के साथ–साथ 03 माह से अधिक अवधि से लंबित परिवादों के सन्दर्भ में भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन :–उप सचिव/अवर सचिव (निग. प्रशाखा 10 एवं 11)

14. प्रशाखा–12 (अभियंता प्रमुख योजना) एवं प्रशाखा–13 (निबंधन) के प्रतिवेदनों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी के 1014, द्वितीय श्रेणी के 2359, तृतीय श्रेणी के 4788 एवं अनियोजित अभियंता श्रेणी के 70 संवेदक पंजीकृत है।

नये निबंधन पोर्टल के संबंध में यह बताया गया कि एन0आई0सी0 से समेकित प्राक्कलन प्राप्त हुआ था। भुगतान की कार्रवाई के लिए मदवार प्राक्कलन की आवश्यकता है। एन0आई0सी0 से मदवार प्राक्कलन की माँग की गयी है। भुगतान के उपरान्त नया निबंधन पोर्टल Launch करने की कार्रवाई की जायेगी।

निदेशित किया गया कि एन0आई0सी0 से समन्वय स्थापित करते हुये यथाशीघ्र नया निबंधन पोर्टल लॉच किया जाय।

अनुपालन :– अभियंता प्रमुख/आई0टी0 मैनेजर

15. मुख्य अभियंताओं से संबंधित विभिन्न प्रशाखाओं की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि पूर्व की बैठकों में दिये गये निदेश के अनुपालन में पिछली बैठक की भांति इस बैठक में भी किसी भी मुख्य अभियंता स्तर से निविदाओं के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त किया गया।

पुनः निदेशित किया गया कि सभी मुख्य अभियंता प्रत्येक बैठक से एक दिन पूर्व के कार्य दिवस को निविदाओं के निष्पादन से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में देना सुनिश्चित करेंगे, ताकि इसे पी0पी0टी0 में सम्मिलित किया जा सके।

अनुपालन :– मुख्य अभियंता (उत्तर/पटना/दक्षिण/विद्युत–01 एवं 02)

16.मुख्य निगरानी पदाधिकारी कोषांग के प्रतिवेदन के अनुसार कोषांग में कोई पत्र निष्पादन हेतु लंबित नहीं है। निगरानी प्रशाखा के प्रतिवेदन के अनुसार निगरानी विभाग के पोर्टल पर कुल 63 परिवाद प्राप्त हुये है, जिनमें से 30 परिवादों को Close कर दिया गया है, 13 परिवाद पोर्टल पर Closer की प्रक्रिया में है, Closer हेतु प्रेषित एक परिवाद कुछ कागजात के अभाव में रिर्टन किया गया है तथा शेष 19 परिवाद लंबित प्रदर्शित है। लंबित प्रदर्शित 19 परिवादों में से 02 परिवाद संचिकास्त हैं, एक परिवाद के सन्दर्भ में कार्रवाई पूर्ण करते हुये निष्पादित कर दिया गया है तथा शेष 16 परिवादों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

निदेश दिया गया कि 16 प्रक्रियाधीन मामलों के निष्पादन हेतु भी त्वरित कार्रवाई की जाय।

अनुपालन :– अवर सचिव, निगरानी प्रशाखा–10 एवं 11

17. PMIS – PMU Lead द्वारा बताया गया कि PMIS पर कार्यपालक अभियंताओं द्वारा दिनांक–01.09.2026 से दिनांक–18.09.2026 तक की अवधि में मुख्य अभियंता (उत्तर) के अन्तर्गत 338 में से 291, मुख्य अभियंता (दक्षिण) के अन्तर्गत 197 में से 191 एवं मुख्य अभियंता (पटना) के अन्तर्गत 86 में से 83 योजनाएं अपडेट की गयी है। इस प्रकार मुख्य अभियंता (उत्तर) के अन्तर्गत 47, मुख्य अभियंता (दक्षिण) के अन्तर्गत 06 तथा मुख्य अभियंता (पटना) के अन्तर्गत 03 योजनाए अपडेट नहीं की गयी है।

भवन प्रमण्डल, अररिया, बेगूसराय, किशनगंज एवं सहरसा द्वारा अपने प्रमण्डल में संचालित क्रमशः 09, 10, 12 एवं 15 योजनाओं में से एक भी योजना अपडेट नहीं की गयी है। इसी प्रकार भवन प्रमण्डल, खगड़िया द्वारा संचालित 09 योजनाओं में से 06 योजना अपडेट नहीं की गयी है। पटना सिटी भवन प्रमण्डल के अन्तर्गत 12 में से 03 योजना अपडेट नहीं है।

निदेश दिया गया कि उक्त सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशक अनुश्रवण के स्तर से Show cause किया जाय तथा अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में आदेश प्राप्त करने हेतु संचिका के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालन :–निदेशक अनुश्रवण।

18. अन्यान्य

- अवर सचिव, स्थापना प्रशाखा–01 द्वारा बताया गया कि विकसित भारत–2047 के सामूहिक संकल्प से संबंधित सेवा संकल्प अभियान का आयोजन दिनांक–17 सितम्बर से 17 अक्टूबर, 2026 तक किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में मंत्रिमंडल सचिवलाय विभाग के पत्रांक–1175 दिनांक–07.09.2026 द्वारा प्रत्येक विभाग से निम्नलिखित कार्रवाई की अपेक्षा की गयी है:–

  ➢ प्रत्येक विभाग अपने विषय से संबंधित सेवा गतिविधि लेकर पहल करें।

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम–से–कम दो स्थानों पर ऐसा कार्य लिया जाए जिसमें वास्तविक एवं दृश्य परिवर्तन दिखाई दे, Before/After फोटो–वीडियों तैयार किए जाएँ।
- प्रतिभागिता/रील को My Bharat Portal एवं निर्धारित डिजिटल माध्यमों पर अपलोड करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

निदेशित किया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में अभियंता प्रमुख के स्तर से शीघ्र कार्रवाई करते हुये प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

अनुपालन :–अभियंता प्रमुख/निदेशक अनुश्रवण/अवर सचिव, स्थ0–1

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–
(राजेश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग।

ज्ञापांकः– भवन–12/अभि0प्र0(यो0)–02–विविध–19/2019 .... **पटना, दिनांक :–** ....

प्रतिलिपि : सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, विद्युत/सभी अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– भवन–12/अभि0प्र0(यो0)–02–विविध–19/2019 9199(भ) **पटना, दिनांक :–** 28/9/26

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.IX.26
अभियंता प्रमुख–सह–
अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव।